

तारीख  
हुबल

हुबल या कार्यवाही मय इतिथिपत्रस जज

19/11/19

पत्रावली पेश हुई। आज पीठारीन अधिकारी  
कार्य में व्यस्त/अवकाश पर होने से  
पत्रावली ईत्तुवा होकर दिनांक  
को पेश हो।

10/12/19

10/12/19

पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता द्वारा  
राजस्थान कासत कार्य अधिवक्ता 188 के तहत  
वाद दर्ज करवाया गया जिसकी तामीली/तलबी  
आदिनांक तब पेश नहीं की गई जो  
आगामी वादीगण पेशी दिनांक 31-12-19 के  
पुर्व सम्मग तामील शुदा पेश करें। (अन्वय)  
उक्त वाद अदम तामीली के चलते अन्वय  
दिया जाकर स्वारीज कर दिया जाएगा।  
जिसकी साम्युव जिम्मेवारी वादीगण अधिवक्ता  
की होगी। वादीगण अधिवक्ता को पुर्व  
दिया जाय। पत्रावली वात्त इत्तुवा (तलबी)  
दिनांक 31/12/19 को पेश हो।

31/12/19

NOT PRESS

श्री. वि. 21/19  
R-139/19

पत्रावली पेश हुई। वादीगण अधिवक्ता  
उपरिस्थित। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगणों के  
विकसु गृहज नेत्रा के वि. न. 854/11 अन्वय  
2.04 कीया व 854/113 अन्वय 2.04 कीया  
अन्वय पर वादीगण के एक हिलसे शोतेवारी  
की अन्वय के कतने वकाइत में प्रतिवादीगण  
जिसी उकार की दरवत न त्वां पेंदा करें  
न अन्वय के करारों इस आशयकी शोइत  
निषेधपत्र की डिकी वादीगण के पत्र में  
इव प्रतिवादीगण के विकसु जारी करने हेतु  
वापसक में उल्लेख किया गया। वादीगण  
अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादीगणों को जारी  
सम्मग तामील। अदम तामील परसुत नही  
किन्ने जाय। वादीगण अधिवक्ता द्वारा

सहस्रक कलेक्टर एवं  
उपस्थ अधिकारी, हुबली

मामला में उपस्थित होकर वरु के  
संबंध में आदेशिका पर Not Press  
लिखकर निवेदन किया कि वह वरु  
को आगे नही चलाना चाहते हैं। स्वेच्छता  
वरु विप्लव हेतु निवेदन किने जाने से  
वरु विप्लव की स्वेच्छता इच्छा का  
स्वीकार किया जाता है।

अतः उक्त वरु Not Press के  
तहत खारीज किया जाता है। वकील  
का मुक्त वरु खारीज किया जाता है।  
जहाँवली जैसल सुभा (होकर नम्बर  
से काग होकर, दारिद्र्य पत्र है।

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, बाबड़ी